

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>29-16-21</p>	<p>पगावली काज पेश डुरे। कमीलार्थी काय अह कपील कालगत धारा 19(1) RTI अधिन के तहत लोक सूचना कमीलार्थी कलेक्टर पाली (A.D.M) पाली के विरुद्ध आह्वान का सूचना उपलब्ध कराते हेतु निदेश मुदात करार हेतु आह्वान की गई है इस पर लोक सूचना कमीलार्थी (A.D.M.) पाली के का लिखक मया। उन्हेगे अपने पत्रांक 730 डि० 29-4-21 के अगत करारा कि कमीलार्थी को संबंधित सूचना उपलब्ध कराती गई है इस पर कमीलार्थी के आफ सूचना के मोर के कपत दस रखते हेतु अगरे पत्रांक 770, $\frac{801}{245-21}$, $\frac{922}{26-21}$ सं $\frac{13244}{2-4-21}$ के तलब किया गया। लेकिन कमीलार्थी उपर नही हुआ चौर कोलि Regd गेजे गरिसेती स्थिति के इस न्यायालय तल से इस कपील में कमी प्रकार की कार्यवाही कोषित नही रहजाती है। एसी स्थिति में प्रकार वही तल पर drop किया जाता है। पगावली शुभात फोनल होकर नम्बर से कर हो।</p> <p style="text-align: center;">A जिजा कलेक्टर, पाली</p>	

